➢ सामान्य निर्देश – ग्रामीण विद्या सेवक (GVS)

शैक्षिक योग्यता :–

- ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जो जिस राज्य से आवेदन कर रहे है। वह उसी राज्य के निवासी हो । आवेदन भरने से पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त **विश्वविद्यालय** से किसी **विषय में स्नातक** की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो । तकनीकी शिक्षा से स्नातक मान्य नहीं ।
- नोट –: यदि प्राप्त की गयी प्रशिक्षण योग्यता यदि हो तो भरें (अन्यथा खाली छोड दे)
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बी0एड0 , बी0टी0सी0 , डी0एल0एड0 जे0बी0टी0 , एन0टी0टी0 तथा चयन हेतु निर्धारित अर्हताये पूरी करते हो । उन्हे वरीयता प्रदान किया जायेगा ।

–: आयु :–

- अभ्यर्थी के आयु की गणना 01जुलाई 2021 से किया जायेगा । इस हेतु न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष व अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष तक की निर्धारित किया गया है ।

आरक्षण –:

- विधिमान्य आरक्षण नियमो के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू होगा
- अनुसूचित जातियो /अनुसूचित जनजातियो हेतु 5 वर्ष तथा अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियो की आधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
- भूतपूर्व सैनिको की आयु में छुट राज्य सरकार के नियमो के अनुसार दी जायेगी ।
- विकलांग अभ्यर्थियो को अधिकतम् आयु सीमा में 10 वर्ष का सामान्य छूट प्राप्त होंगे

:– अधिवास –:

- ग्रामीण विद्या सेवक प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी उसी राज्य के किसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है । चयन के समय सक्षम अधिकारी कि स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन के उपरान्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

–: प्रशिक्षण –:

- ग्रामीण विद्या सेवको के कार्य के उपरान्त अभ्यर्थियो को 3 माह के – TTC (टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) प्रशिक्षण से गुजरना होगा । प्रशिक्षणार्थीयो को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्थाईपेड) देय नही होगा । यह प्रशिक्षण अभ्यर्थियो को '' शिक्षा अनुसंधान एवं विकास समिति के द्वारा कराया जायेगा । यह प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियो के लिए निःशुल्क होगा जिसमें किसी प्रकार का शुल्क नही देय होगा
- प्रशिक्षण अवधि में ई0आर0डी0एस0 केन्द्रो व विद्यालयो तथा विभाग से सम्बद्ध विद्यालयो में संचालित समस्त विषयो के पाठ्यक्रम का उन्हे विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
- तीन माह की प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियो को '' शिक्षा अनुसंधान एवं विकास समिति'' के द्वारा ग्रामीण टीचिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे ।

–: **चयन प्रकिया –:**

- ग्रामीण विद्या सेवक (GVS) हेतु चयन मेरिट के अधार पर किया जायेगा अभ्यर्थियो के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इन्टरमिडिएट व स्नातक परीक्षा के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी । गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंको में पूर्णाकित (Round of) किया जायेगा । चयन के समय यदि एक ही वर्ग अथवा श्रेणी के दो अभ्यर्थीयो के गुणांक बराबर आते है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी ।

–: ग्रामीण विद्या सेवक का कर्तब्य एवं दायित्व –:

- ग्रामीण विद्या सेवक अपने शिक्षण कार्य के दायित्वो का निर्वाहन सम्बन्धित ई0आर0डी0एस0 केन्द्रो व विद्यालयो में जिला शिक्षा नियन्त्रक/ब्लाक शिक्षा नियन्त्रक ई0आर0डी0एस0 के नियन्त्रण एवं मार्ग दर्शन में करेंगे ।

<u>संचालन एवं प्रबन्धन समिति</u>